आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 3/अंक 4/सितंबर 2023
Received: 9/09/2023; Accepted: 14/09/2023; Published: 24/09/2023

कुष्ठ रोग - एक सामाजिक समस्या व राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

अखिलेश्वर कुमार साहू
शोधार्थी सामाजशास्त्र
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय
बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

अखिलेश्वर कुमार साहू, **कुष्ठ रोग - एक सामाजिक समस्या व राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 3/अंक 4/सितंबर 2023,(412-418)

प्रस्तावनाः- वर्तमान मे दुनिया भर के लगभग सवा लाख लोगों को कुष्ठ रोग प्रभावित करता है, जिनमें अधिकांश कुष्ठ रोग के 55 प्रतिशत मामले भारत में है। कुछ क्षेत्रों में कुष्ठ रोग की समस्या बढ़ती जा रही है। कुष्ठ रोग सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है अपितु यह रोग के साथ लोगों और उनके रिश्तेदारों के कलंक व बहिष्कार, गरीबी, निराशा के लिए अग्रणी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। शुरूआत में जानकारी के अभाव में कुष्ठ को बहुत संक्रमण रोग माना जाता था। इसी कारणवश ब्रिटिश कमीशन ने सन् 1898 में लेपर एक्ट के नाम से भारत में एक कानून पारित किया था जिसका उद्देश्य कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों को समाज से अलग-थलग करते हुए समाज को संक्रमण से बचाना था। पीड़ित व्यक्तियों को गांव व शहर से मीलों दूर रखा जाता था एवं उन्हें सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। यहां तक कि इस रोग के आधार पर तलाक लेने का भी प्रावधान है यद्यपि एम.डी.टी. के अविष्कार के बाद सन् 1985 में "लेपर एक्ट" को खत्म कर दिया गया। पर इससे जुड़े भेदभाव पूर्ण नीतियां, अब भी कई कानून नीति सरकारी आदेश आदि के रूप में समाज में मौजूद है। यह भेदभाव क्रमशः और भयावह होता है जो आज समाज में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के प्रति भय एवं घृणा को चरम सीमा में ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा जीविकोपार्जन जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने इतनी प्रगति कर ली है कि रोग का निदान कई वर्ष पूर्व ही संभव हो गया था और अब तो इस रोग को मल्टी ड्रग थैरपी (MDT) उपलब्ध है। इस तरह यह रोग चिकित्सा विज्ञान के लिए असाध्य नहीं रहा। लेकिन बहुत से लोग अब भी से दैवीय रोग मानते है। यही कारण है कि कई कुष्ठ रोगी इलाज और समाज का सहानुभूति के बिना

इसी धरती पर नर्क तुल्य यंत्रणा भोगते रहते है। इस रोग के बारे में पूर्ण जानकारी को हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। कुष्ठ रोग के उन्नत रूपों से जुड़ा सदियों पुराना सामाजिक कलंक या दूसरे शब्दों में कुष्ठ रोग का कलंक अनेक क्षेत्रों आज भी मौजूद है। यह अभी भी स्वसूचना और जल्द उपचार के प्रति एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। कलंक शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। किसी व्यक्ति की जैतिक स्थिति को असामान्य व खराब करने वाले शारीरिक विकृति को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमेरिकन समाजशास्त्री इरविंग गोफमैन कलंक को एक ऐसे लांछित व्यक्ति हेतु किया जाता है, जिसे समाज द्वारा सम्मान व सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम-

भारत सरकार द्वारा सन् 1954-55 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (NLCP) प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में पहचान करना व संक्रमित रोगियों का शीघ्र व नियमित उपचार द्वारा संक्रमण तथा विकलांगता एवं विकृतियों से बचाव कर रोगियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास किया जाता है। 1982 में मल्टीड्रग थैरेपी (MDT) की शुरूआत के बाद में व्यापक उपयोग में आई और इसके तहत् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारत की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा स्वास्थ्य सेवा (कुष्ठ) के उप निदेशक द्वारा सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में किया जाता है। एनएलईपी की रणनीतियां और योजनाएं केंद्र द्वारा तैयार की जाती है व कार्यक्रम राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। एनएलईपी की रणनीतियां जनसंख्या में कुष्ठ संक्रमण की मात्रा में कमी व संक्रामक सा्रेत में कमी के माध्यम से रोग को नियंत्रित करने पर आधारित थी। इस प्रकार इसका प्रमुख उदेश्य रोग संचरण की श्रृंखला को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना था। एनएलईपी की रणनीतियां और योजनाएं भारत की केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती है जबकि कार्यक्रम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए जाते है। कार्यक्रम को शुरूआत में देश के स्थानिक जिलों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसकी उपयोगिया व अनिवार्यता को देखते हुए 1993-94 में विश्व बैंक की सहायता से देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया था। इस कार्यक्रम की प्रमुख चिंता एवं समस्या यह थी कि प्रारंभिक चरणों में कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाना व प्रभावित व्यक्तियों में ग्रेड 2 विकलांगता (Grade II) की घटना को रोकने के लिए सभी को मुफ्त में पूर्ण उपचार प्रदान करना है। भारत ने कुष्ठ रोग उन्मूलत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया व दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से कम के विश्व स्वास्थ्य संगठन मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को एक सार्वजनिक मानदंड के अनुसार कुष्ठ रोग को एक सर्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। हालांकि राज्यों के भीतर कुछ ऐसे जिले है जहां कुष्ठ रोग अभी भी स्थानिक समस्या के रूप में बनी हुई है। 'कुष्ठ मुक्त भारत' इस राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का एक अहम सार्थक शब्द व दृष्टिकोण है।

➢ **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उदेश्य-**

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। जो कुष्ठ रोग के एक व्यापक सवंर्धित व प्रतिरोधित योजना के रूप में प्रारंभ की गयी है, इस कार्यक्रम का उदेश्य बीमारी की इलाज के बाद विकलांगता की देखभाल सहित एक आसान पहुंच के साथ एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली क माध्यम से आबादी के सभी वर्गो को मुफ्त गुणवत्ता व लाभकारी कुष्ठ सेवाएं प्रदान करना है। इस कार्यक्रम क प्रमुख उदेश्य निम्न है-

1. उपराष्ट्रीय व जिला स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 मामले से कम के प्रसार दर को कम करना।
2. राष्ट्रीय स्तर पर नये मामलों में ग्रेड 2 विकलांगता % < 1 को कम करना।
3. राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड 2 विकलांगता के मामलों को प्रति दस लाख जनसंख्या पर 1 मामले से कम करना।
4. नए बाल व नवजात शिशुओं में शून्य विकलांगता प्राप्त करना।
5. कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति शून्य कलंक व भेदभाव।
6. रोग व रोगग्रस्तता पश्चात् सामाजिक कलंक की भावना मिटाना।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की निम्न मुख्य विशेषताएं है-

1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है।
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्देशन में कार्य करता है।
3. कार्यक्रम का नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य सेवा (कुष्ठ रोग) के उपनिदेशक द्वारा किया जाता है।
4. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कार्य एक विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य योजना का पालन करता है व राज्य स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से समस्त राज्यों को धन भेजा जाता है।
5. इस काग्रक्रम की मुख्य विशेषताएं यह है की इसके माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं की विशेष गुणवत्ता और इस गुणवत्ता का स्थिरता बरकरार रखने पर इनका मुख्य फोकस हेाता है।
6. इनकी एक प्रमुख विशेषताएं कुष्ठ रोगी के रोगग्रस्तता पश्चात उसकी विकलांगता संबंधी रोकथाम व उसका एक समायोजित ढंग से चिकित्सा पुनर्वास करना एक बड़ी प्राथमिकता हेाती है।
7. समाज में रोगी के प्रति एक सामाजिक कलंक व समाज में व्याप्त भेदभाव को जड़ से मिटाया जा सके।

➢ **कुष्ठ उन्मूलन के लिए रणनीतियां -**

किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनायी गयी 'कार्ययोजना' को सामान्य अर्थ में रणनीति (strategy) कहते है। रणनीति मूलतः सैन्यविज्ञान से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब हेाता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति क लिए बनायी गयी कार्ययोजना अर्थात् अनिश्चय की स्थिति में एक या अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर बनायी गयी योजना को रणनीति कहते है। (Strategy is a general plan to Achieve one or more long term or overall goals under conditions of uncertainty.) इस प्रकार कुष्ठ रोग उन्मूलन के उपरोक्त उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन मुख्य रणनीतियों का पालन किया जाना है वे मुख्य रूप से इस प्रकार है-

1. कुष्ठ रोग के नए मामलों की शीघ्र पहचान और पूर्ण उपचार करना।

2. सामान्य स्वास्थ्यगत प्रणाली के माध्यम से एकीकृत कुष्ठ रोग रोधी सेवाएं उपलब्ध करवाना।
3. कुष्ठ रोग के नए मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए घरेलू संपर्क सर्वेक्षण संपन्न कराना व चिन्हित करना।
4. कुष्ठ रोग के मामलों का पता लगाने और रोगी का समय पर उपचार पूरा करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) की भागीदारी को इंगित करना।
5. कुष्ठ रोग विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास (डी पी एम आर) संबंधी सेवाओं को मजबूती प्रदान करना व कार्यान्वित करना।
6. कुष्ठ रोग संबंधी रिपोर्टिंग कार्य में एकरूपता हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में स्व-रिपोर्टिंग में सुधार और विकलांगता उपरांत सामाजिक कलंक को कम करने के लिए समुदाय में सूचना शिक्षा व संचार (IEC) गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम को बढावा देना।
7. कुष्ठ रोग उन्मूलन के रणनीतियां हेतु स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गहन निगरानी और पर्यवेक्षण कार्य संपादित करना।

➢ **एनएलईपी के मूल्यवान परिवर्तन –**

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोग हेतु एक वृहद स्वरूप वाला कार्यक्रम है। जिसमें समय व परिस्थिति के साथ-साथ अनेक अमूलचूल परिवर्तन हुए जिसके तहत विभिन्न रणनीतियां बनती गई जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप् में स्थापित हुई-

1. 1948- हिन्दू कुष्ठ निवारण संघ

2. 1955- राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

3. 1970- एमडीटी एक बहुऔषधीय उपचार पद्धति के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई।

4. 1982- डब्ल्यू एच ओ के एक अध्ययन समूह ने एमडीटी उपचार पद्धति के उपयोग को एक मानक उपचार पद्धति के रूप में प्रतिस्थापित किया।

5. 1983- एमडीटी को इलाज का मानक विकल्प मानते हुए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की शुरूआत।

6. 1991- 2000 AD तक कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा का संकल्प पारित किया गया।

7. 1993- विश्व बैंक द्वारा एमडीटी कार्यक्रम व एनएलईपी के प्रथम चरण को क्रियान्वयन हेतु समर्थन प्रदान।

8. 1997- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उसके प्रदर्शित लक्ष्य के आधार पर मध्य अवधि में गुणात्मक मूल्यांकन

9. 1998- संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान का शुभारंभ।

10. 2001-2004- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना का वित्तीय चरण प्रारंभ ।

11. 2002- कुष्ठ रोग व्यापक जागरूकता हेतु सरलीकृत सूचना प्रणाली शुरू की गई।

12. 2005- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना का दूसरा चरण का राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन।

13. दिसम्बर 2005- प्रति 10000 जनसंख्या पर कुष्ठ रोग व्यापकता दर 0.95 रह गई भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन की स्थिति को प्राप्त किया।

14. 2007- प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक स्तर पर विकलांगता रोकथाम व चिकित्सा पुनर्वास दिशा निर्देश प्रारंभ किया गया।

15. 2012- 12वीं पंचवर्षीय योजना में 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 209 उच्च स्थानिक जिलों के लिए विशेष कुष्ठ रोग कार्य योजना को अपनाया गया।

16. 2014- WHO द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया।

17. 2014- उन्नत सरलीकृत सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया।

18. 2016- कुष्ठ ग्रसित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया गया।

19. 2017- 1) उच्च स्थानिक जिलों में सक्रिय मामले का पता लगाने लगभग 14 दिनों तक सक्रिय केस डिटेक्शन अभियान।

2) निम्न/कम स्थानिक जिलों में केद्रित कुष्ठ रोग अभियान। (FLC)

3) कुष्ठ रोग के संदिग्ध मरीजों की खोज व पहचान के लिए आशा आधारित निगरानी कार्यक्रम का संचालन करना। (ABSULS)

4) कुष्ठ संबंधी Grade II विकलांगता महामारी विज्ञान जांच।

5) पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) का कार्यान्वयन रिफैम्पिसिन की एकल खुराक

6) स्पर्श कुष्ठ रोग जनजागरूकता अभियान।

7) 2.0 निकुष्ठ साफ्टवेयर - संपूर्ण भारत में एक वास्वविक समय पर कुष्ठ रोग रिपोर्टिंग साफ्टवेयर।

- 2019 - 1. एनएलईपी का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बाहरी मूल्यांकन करना।

2. समस्त हेल्थ वेलनेंस सेन्टर में 30 वर्ष से अधिक आयु जनसंख्या का स्वास्थ्य जांच आयुष्मान भारत के व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के साथ साथ कुष्ठ रोग जांच कार्यक्रम का भी अभिसरण करना।

3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आंगनबाडी केद्रों व सरकारी कार्यालयों में 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आवश्यक स्वास्थ्य जांच स्कीर्निंग के साथ ही कुष्ठ रोग स्क्रीनिंग का संपादन एवं अभिसरण –

- 2020 - 1. कुष्ठ रोग के नए सक्रिय मामले का पता लगाने व इसकी नियमित निगरानी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

2. स्वास्थ्य जांच (स्क्रीनिंग) को बढ़ाने की दृष्टि से 0 से 18 वर्ष के बच्चों की स्क्रीरनिंग के लिए कुष्ठ रोग को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एकीकृत कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। इसके अलावा (HWC) व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान भारत के तहत 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला एवं पुरूषों की जनसंख्या आधारित जांच को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक रूप् से शामिल किया गया है।

- 2020-21 - तक उपलब्धियां
- 2020-21 - में प्रति 10000 जनसंख्या पर प्रसार दर घटकर 0.41 प्रतिशत रह गयी है।
- 2020-21 में वार्षिक नए मामलों का पता लगाने की दर घटकर 4.58/10000 हो गई है।
- 2020-21 में पाए गए नए मामलों में बाल मामलों का प्रतिशत घटकर सिर्फ 5.76 प्रतिशत हो गया है, जो एक बहुत ही सकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है।
- 2020-21 में पाए गए नये मामलों में Grade II विकलांगता का प्रतिशत घटकर 2.48 प्रतिशत रह गया है जो विशिष्ट चिकित्सा सेवा पद्धति की बेहतर कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करती है।
- 2020-21 में प्रति मिलियन जनसंख्या पर नए मामलों के बीच Grade II विकलांगता घटकर 1.14 प्रति मिलियन जनसंख्या हो गया है।

निष्कर्षः- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कुष्ठ आज भी समाज में एक सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान है। व इससे होने वाली विकलांगता कुष्ठ रोगी के लिए एक सामाजिक कलंक व भेद भाव का प्रमुख कारण बनती है, चूंकि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है जिससे निश्चित ही इस रोग को

समाप्त करने में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में कुष्ठ रोग को नियंत्रित करके हम आबादी के एक बड़े हिस्से के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करेगें।

संदर्भ सूची/Reference:

1) कुष्ठ रोग अद्यतन (2011) साप्ताहित आर्थिक विज्ञान रिकार्ड। 36:389-400

2) Jopling WH (1991). "Leprosy stigma" lepr Rev. 62:1-12

3) गोफमैन इरविंग (1986) कलंकः खराब पहचान के प्रबंधन पर नोट्स। 1-3

4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रोग उन्मूलन कार्यक्रम का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन 7 दिसंबर 2021

5) टण्डन नीरज, कुष्ठ अनुसंधान संस्थान स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

6) आईसीएमआर - राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ अन्य माइकोबैक्टीरियम रोग संस्थान

7½ Noordeens neelam P (1978): "Extended studies on chemoprophylaxis against leprosy" Indian j med Res 67:515-27

8½ Leprosy (Hansens Disease) – 2015 NIH, NIAID, National Institude of Allergy. and infectious Disease (internet)

9) Smith DS (2008) 'Leprosy Overviestl' Medicine infectious Diseases: 8-19

10) Jardim MR, Santosh AR, Antunes SL एवं अन्य ¼2003½ ''Critria for diagnosis of pure neurl Leprosy'' J.Neurol. 250(7): 806-9.

****